न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर (मु. जयपुर)

# फर्द अहकाम

गनगौरी बनाम पप्पु

यालय

या 08/19 [illegible]

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रुप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 22-10-2024 | पत्रावली प्रस्तुत। अधिवक्ता वादी उपस्थित। वादी के कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस की। तथा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः मुताबिक तहसीलदार शाहपुरा डाबी जयपुर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय एवं डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। <br> सहायक कलेक्टर <br> आमेर मु. जयपुर | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.06 12:35:47 IST
Reason: SelfAttested

# न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : अंजु वर्मा
आर.ए.एस.

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

नियमित वाद संख्या 8/2019

वाद प्रस्तुति दिनांक : 24.01.2019

श्रीमती मनभरी देवी पत्नी श्री सांवरमल जाट जाति जाट निवासी ग्राम जयरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

......... वादिया

बनाम

1. पप्पू पुत्र भैरूराम
2. सांवरमल पुत्र भैरूराम
   समस्त जाति जाट निवासी जयरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. घासीराम पुत्र श्री नारायण जाति हरियाणा ब्राहम्ण निवासी ग्राम धाबास तहसील व जिला जयपुर।
4. सुरज्ञान पुत्र भैरूराम
5. श्यामलाल पुत्र भैरूराम
6. मंगली पुत्री भैरूराम
7. लाडा पुत्री भैरूराम
8. संतोष पुत्री भैरूराम
9. सावित्रि पुत्री भैरूराम
10. प्रभु देवी पत्नी स्व0 श्री भैरू
    समस्त जाति जाट निवासी जयरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
11. उप पंजीयक कार्यालय आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
13. सहायक अभियंता जयपुर विद्युत विरतण निगम लिमिटेड जैतपुरा तहसील चौमूं जिला जयपुर।
14. अधिशाषी अभियंता जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जैतपुरा तहसील चौमूं जिला जयपुर।

..........प्रतिवादीगण

**वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955**

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.06 12:35:47 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 22.10.2024

हस्तगत वाद के [illegible] इस प्रकार से है कि वाद वाके राजस्व ग्राम जयरामपुरा, पटवार हल्का क्षेत्र जयरामपुरा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल, तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 784रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नंबर 794 रकबा 0.32 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.54 हैक्टेयर में वादिया का हिस्सा 1/10 एवं खसरा नंबर 785 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 786 रकबा 0.08 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.11 हैक्टेयर में वादिया का हिस्सा 1/10 निहित है तथा



सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

शेष हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज एवं अंकित चला आ रहा है। वादिया उपरोक्त वर्णित रकबा भूमि में अपने हिस्से की भूमि पर रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार की हैसियत से निरंतर काबिज काश्त चला आ रहा है और अपने हिस्से अनुसार राजस्व लगान अदा करते आ रहे हैं। वादिया एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से उक्त वर्णित रकबा भूमि पर निरंतर काबिज चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण उक्त गैर कानूनी व विधि विरूद्ध तरीके से वादिया को वाद अधीन कृषि भूमि के विशिष्ट भू–भाग से बेदखल करने एवं प्रतिवादीगण विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा कर एवं विशिष्ट भू–भाग पर प्लोटिंग करके विक्रय हस्तान्तरा, खुर्द–बुर्द करने पर उतारू है इस संबंध में वादिया ने प्रतिवादीगण को दिनांक 22.01.2019 को वादअधीन भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस में विधिक विभाजन कराने हेतु साफ इंकार कर दिया तथा प्रतिवादीगण ने वादिया को ऐलानियां धमकी दी कि वाद अधीन कृषि भूमि के विशिष्ट भू–भाग पर वह प्लॉट काटकर निर्माण करके, विक्रय हस्तान्तरण करेंगे तथा उसके कब्जे–काश्त की भूमि से बेदखल करके दम लेंगे। इसलिए वाद अधीन कृषि भूमि के विशिष्ट भू–भाग से अपना कब्जा हटा लो अन्यथा बाहुबल के आधार पर तुमको बेदखल कर दिया जावेगा। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों; परिस्थितियों के आधार पर वादिया विधिक विभाजन की डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण नंबर 1 लगायत 10 इस आशय की प्राप्त करने का अधिकारी है कि वाद पत्र में उल्लेखित राजस्व ग्राम जयरामपुरा, पटवार क्षेत्र जयरामपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर की सरहद में कृषि भूमि खसरा नंबरान् का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विधिक विभाजन किया जाकर उक्त भूमि में वादिया का निहित हिस्सा को वादिया की पृथक खातेदारी में दर्ज किया जाकर वादिया के हिस्से का राजस्व लगान एवं राजस्व नक्शा पृथक किया जावें। दावा बाबत् विधिक विभाजन को होने से राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर लैण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार है इसलिये प्रतिवादीगण संख्या 12 के रूप में पक्षकार बनाया गया है, तथा प्रतिवादीगण वाद अधीन भूमि को बिना विधिक विभाजन करवाये ही विशेष भू–भाग को विक्रय हस्तान्तरण करने पर उतारू है इसलिये उनके द्वारा निष्पादित किसी भी लेख पत्र को तस्दीक करने से निषेद्ध रखने के लिए उप पंजीयक आमेर को प्रतिवादीगण संख्या 11 के रूप में पक्षकार बनाया गया है, तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 द्वारा अवैध रूप से वादग्रस्त भूमि का विधिवत् तकासमा करवाये बिना वादिया को बेदखल करने की नियत से विद्युत कनेक्शन लेने पर उतारू है, इस कारण प्रतिवादी संख्या 13 व 14 को पक्षकार मुकदमा बनाया गया। अप्रार्थी संख्या 13 और 14 जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जयपुर की ओर से जवाब वाद पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि माननीय न्यायालय वादिनी का वाद–पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमावे एवं अन्य अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे वादिनी से प्रतिवादी को दिलवाया जावें और इसमे प्रतिवादी संख्या 13 व 14 द्वारा यह भी बताना आवश्यक है कि प्रतिवादी अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.06 12:35:47 IST
Reason: SelfAttested



सहायक कलक्टर
आमेर म., जयपुर

सभी कार्य कानूनी का पालन करते हुए नियमानुसार करता है अर्थात प्रतिवादी कभी भी गलत एवं गैरकानूनी कार्य नहीं करता है।

वादी ने वादपत्र के साथ प्रमाणित प्रति जमाबंदी हाल संवत 2072–75, प्रमाणित प्रति नक्शा ट्रैस छाया चित्र की सत्यप्रतिलिपि पेश की। वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1, 6, 7, 2 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर दिनांक 14.06.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 4, 5, 10 ने जवाब दावा के अनेक अवसर दिये जो चुके है दिनांक 14.06.2022 को भी 100/– रूपये की कॉस्ट पर भी एक अंतिम अवसर देने के उपरांत भी जवाब दावा पेश नहीं करने पर दिनांक 20.09.2022 को प्रतिवादी संख्या 4, 5, 10 का जवाब दावे का अवसर बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 8 बावजद तामील अनुपस्थित रहने पर दिनांक 01.02.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5, 9, 10 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर दिनांक 12.03.2024 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। तद्अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर दिनांक 12.03.2022 को प्राथमिक डिक्री किया गया। तथा तहसीलदार रामपुरा–डाबडी को कुर्रेजात रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर आपत्ति कुर्रेजात व बहस का अवसर दिया गया। वादी ने कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस की। तथा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। कुर्रेजात रिपोर्ट पर उभयपक्ष द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं की। अतः तहसीलदार रामपुरा डाबडी, जयपुर ग्रामीण से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वादपत्र को निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता हैः–

1. मनभरी पत्नी सांवरमल हि. 580/973 जाति जाट, सा. देह खातेदार, सांवरमल पुत्र भैरूराम हि. 393/973 जाति जाट, सा. ग्राम धाबास तह. जिला जयपुर के हिस्से खसरा नंबर 794/1 रकबा 0.0673 हैक्टेयर, खसरा नंबर 785 रकबा 0.0300 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.0973 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है।

2. घासीराम पुत्र श्री नारायण हि. 1/27 जाति [illegible] सा. ग्राम धाबास तह. जिला जयपुर, पप्पूमल पुत्र भैरूराम हि. [illegible] सा. राजारामपुरा, प्रभु देवी पत्नी भैरूराम हि. 1/10 सा. ग्राम राजारामपुरा, [illegible] देवी पुत्री भैरूराम हि. 1/10 सा. ग्राम राजारामपुरा, मनभरी पत्नी सांवरमल हि. 1/10 जाति जाट सा. अनोपपुरा, लाडा पुत्री भैरूराम हि. 1/10 सा. ग्राम राजारामपुरा, श्यामलाल पुत्र भैरूराम हि. 1/10 सा. ग्राम राजारामपुरा, संतोष पुत्री भैरूराम हि. 1/10 सा. देह, सुरज्ञान पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.06 12:35:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

भैरूराम हि. 1/10 सा. ग्राम रांजारामपुरा, सांवरमल पुत्र भैरूराम हि. 11/135 जाति जाट, सा. ग्राम धाबास, तह. जिला जयपुर, सावित्री पुत्री भैरूराम हि. 1/10 जाति जाट सा. राजारामपुरा खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 794/2 रकबा 0.0700 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है।

3. घासीराम पुत्र श्री नारायण हि. 374/4836 जाति हरियाणा ब्राहम्ण सा. ग्राम धाबास तह. जिला जयपुर, पप्पूमल पुत्र भैरूराम हि. 393/4836 जाति जाट सा. राजारामपुरा, प्रभु देवी पत्नी भैरूराम हि. 580/4836 सा. ग्राम राजारामपुरा, मंगली देवी पुत्री भैरूराम हि. 580/4836 सा. ग्राम राजारामपुरा, लाडा पुत्री भैरूराम हि. 580/4836 सा. ग्राम राजारामपुरा, श्यामलाल पुत्र भैरूराम हि. 580/4836 सा. ग्राम राजारामपुरा, संतोष पुत्र भैरूराम हि. 580/4836 सा. देह, सुरज्ञान पुत्र भैरूराम हि. 580/4836 सा. ग्राम राजारामपुरा, सावित्री पुत्री भैरूराम हि. 580/4836 जाति जाट सा. राजारामपुरा खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 794/3 रकबा 0.1827 हैक्टेयर, खसरा नंबर 784 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 786 रकबा 0.0800 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.4827 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में पीले रंग में दर्शाया गया है।

अतः वादी का वाद मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.06 12:35:47 IST
Reason: SelfAttested

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
**अज अदालत सहायक कलक्टर आमेर, मु0 जयपुर**
**पीठासीन अधिकारी अंजु वर्मा (आर.ए.एस)**

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर जयपुर

नियमित वाद संख्या 8/2019 — वाद प्रस्तुति दिनांक : 24.01.2019

श्रीमती मनभरी देवी पत्नी श्री सांवरमल जाट जाति जाट निवासी ग्राम जयरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

........ **वादिया**

**बनाम**

1. पप्पू पुत्र भैरूराम
2. सांवरमल पुत्र भैरूराम
   समस्त जाति जाट निवासी जयरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. घासीराम पुत्र श्री नारायण जाति हरियाणा ब्राहम्ण निवासी ग्राम धाबास तहसील व जिला जयपुर।
4. सुरज्ञान पुत्र भैरूराम
5. श्यामलाल पुत्र भैरूराम
6. मंगली पुत्री भैरूराम
7. लाडा पुत्री भैरूराम
8. संतोष पुत्री भैरूराम
9. सावित्रि पुत्री भैरूराम
10. प्रभु देवी पत्नी स्व0 श्री भैरू
    समस्त जाति जाट निवासी जयरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
11. उप पंजीयक कार्यालय आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
13. सहायक अभियंता जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जैतपुरा तहसील चौमूं जिला जयपुर।
14. अधिशाषी अभियंता जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जैतपुरा तहसील चौमूं जिला जयपुर।

..........**प्रतिवादीगण**

**वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा**
**अंतर्गत धारा– 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

निर्णय दिनांक 22.10.2024

मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादपत्र को निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है:–

1. मनभरी पत्नी सांवरमल हि. 580/973 जाति जाट, सा. देह खातेदार, सांवरमल पुत्र भैरूराम हि. 393/973 जाति जाट, सा. ग्राम धाबास तह. जिला जयपुर के हिस्से खसरा नंबर 794/1 रकबा 0.0673 हैक्टेयर, खसरा नंबर 785 रकबा 0.0300 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.0973 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.06 12:35:47 IST
Reason: SelfAttested

2. घासीराम पुत्र श्री नारायण हि. 1/27 जाति हरियाणा ब्राहम्ण सा. ग्राम धाबास तह. जिला जयपुर, पप्पूमल पुत्र भैरूराम हि. 11/135 जाति जाट सा. राजारामपुरा, प्रभु देवी पत्नी भैरूराम हि. 1/10 सा. ग्राम राजारामपुरा, [illegible]ली देवी पुत्री भैरूराम हि. 1/10 सा. ग्राम राजारामपुरा, मनभरी पत्नी सांवरमल हि. 1/10 जाति जाट सा. अनोपपुरा, लाडा पुत्री भैरूराम हि. 1/10 सा. ग्राम राजारामपुरा, श्यामलाल पुत्र भैरूराम हि.

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

लाडा पुत्री भैरूराम हि. 1/10 सा. ग्राम राजारामपुरा, श्यामलाल पुत्र भैरूराम हि. 1/10 सा. ग्राम राजारामपुरा, संतोष पुत्री भैरूराम हि. 1/10 सा. देह, सुरज्ञान पुत्र भैरूराम हि. 1/10 सा. ग्राम राजारामपुरा, सांवरमल पुत्र भैरूराम हि. 11/135 जाति जाट, सा. ग्राम धाबास, तह. जिला जयपुर, सावित्री पुत्री भैरूराम हि. 1/10 जाति जाट सा. राजारामपुरा खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 794/2 रकबा 0.0700 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है।

3. घासीराम पुत्र श्री नारायण हि. 374/4836 जाति हरियाणा ब्राहम्ण सा. ग्राम धाबास तह. जिला जयपुर, पप्पूमल पुत्र भैरूराम हि. 393/4836 जाति जाट सा. राजारामपुरा, प्रभु देवी पत्नी भैरूराम हि. 580/4836 सा. ग्राम राजारामपुरा, मंगली देवी पुत्री भैरूराम हि. 580/4836 सा. ग्राम राजारामपुरा, लाडा पुत्री भैरूराम हि. 580/4836 सा. ग्राम राजारामपुरा, श्यामलाल पुत्र भैरूराम हि. 580/4836 सा. ग्राम राजारामपुरा, संतोष पुत्र भैरूराम हि. 580/4836 सा. देह, सुरज्ञान पुत्र भैरूराम हि. 580/4836 सा. ग्राम राजारामपुरा, सावित्री पुत्री भैरूराम हि. 580/4836 जाति जाट सा. राजारामपुरा खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 794/3 रकबा 0.1827 हैक्टेयर, खसरा नंबर 784 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 786 रकबा 0.0800 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.4827 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में पीले रंग में दर्शाया गया है।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 22.10.2024 को जारी किया।

दस्तखत ———
ओहदा ———

(मुहर: न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर)

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

| मुद्दई | रूपये | पैसे | मुद्दायलह | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 2 रूपये | – | स्टाम्प अर्जी दावा | 2 रूपये | – |
| स्टाम्प वकालतनामा | 2 रूपये | | स्टाम्प वकालतनामा | 2 रूपये | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | स्टाम्प वजह सबूत | | |
| महन्ताना वकील | | | महन्ताना वकील | | |
| खर्चा गवाहन | | | खर्चा गवाहन | | |
| फीस कमिश्नर | | | फीस कमिश्नर | | |
| बबत् इजराय हुक्मानामा | | | बबत् इ[illegible]मा | | |
| मुतफरित | 4 रूपये | | मुतफरि[illegible] | 4 रूपये | |
| मीजान | | | मीजान | | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.06 12:35:47 IST
Reason: SelfAttested